न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 50/2024 बउनवानी मोहर सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0मा0
पुत्र शिवजीलाल गुर्जर निवासी टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तहसील तलावडा

GCMS No-2024/117

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
7.11.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 16.7.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"कार्यालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की मिसल संख्या 11/85 रिकार्ड नम्बर 8 मिसल संख्या 171/85 रिकार्ड नम्बर 161 मिसल संख्या 186/85 रिकार्ड नम्बर 178 उक्त आवंटन मिसलों को कार्यालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय आदेश 251 दिनांक 5.4.1988 के द्वारा जिला अभिलेखागार सवाईमाधोपुर मे जमा करवाये गये उक्त तीनो मिसलो, पत्रावलियो के आवंटन आदेश, कब्जा ट्रेस, कब्जा रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण पत्रावलियो की प्रमाणित प्रति की सूचना "* लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बांबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःएफ.13(2)(73)/सूकाअ/2024/1007 दिनांक 16.10.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.7.2024 में चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधि0 एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.13(1)(73) सूकाअ/2024/822 दिनांक 8.8.2024 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है " कि चाही गयी सूचना से संबंधित मिसल गुलजी पुत्र गोकुल गुर्जर, रामजीलाल पुत्र गंगाधर गुर्जर व सुजान पुत्र लोहडच्या गुर्जर ग्राम टोटोलाई की है। पूर्व मे भी इसी प्रकार की सूचना चाही जाने पर अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 691 दिनांक 9.7.2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना तृतीय पक्षकार की होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 11 के तहत देय नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.7.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही सूचना तृतीय पक्षकार की श्रेणी मे होने कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत देय नही होने कारण उपलब्ध नही करवायी जा सकती है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 17:58:13 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner